4344
संख्याः /I/2007-03(1)/06/07

प्रेषक,

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 15 नवम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–2008 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान की तृतीय किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1886/07/उरेडा–11(02)नो0प्ला0/07–08, दिनांक 27–10–07 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–3806/1/2007–03(1)/06/07,दिनांक 21–08–207 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–2008 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को रु0 36–00 लाख (रु0 छत्तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि बजट प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बिन्दु–6 का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

1– स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिये करने के उपरान्त शासन को अवगत कराया जायेगा और धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा। उरेडा मुख्यालय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा तैयार बिल पर सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा।

3– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा। मितव्ययता की मदो मे कटौती किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

4– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराई जायेगी ।

6– अगली व चतुर्थ किश्त तभी स्वीकृत की जायेगी, जब उरेडा द्वारा विगत वर्ष का वास्तविक व्यय का विवरण, पूर्व स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उसकी उपयोग की स्थिति एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

.....2

7– यात्रा व्यय तथा पी0ओ0एल0 एवं वाहन अनुरक्षण पर मितव्ययता के आधार पर व्यय किया जायेगा।

8– अप्रैल, 2007 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरुप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह 'क', 'ख', 'ग' व 'घ') की सूचना विभाग द्वारा रखी जायेगी जिससे वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत विभागवार श्रेणीवार भरे जाने वाले पदों तथा इसके सापेक्ष होने वाले व्ययों की जानकारी प्राप्त हो सके।

9– वित्तीय वर्ष 2007–08 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना उरेडा द्वारा अलग से रखी जायेगी।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्त्रोत–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03–प्रशासनिक व्यय–01–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 616/XXVII(2)/2007, दिनांक:12 नवम्बर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्या 1344/1/2007-03(1)/06/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त परियोजनाधिकारी, उरेडा।
6– वित्त अनुभाग–2
7– सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव